



**राजस्थान सरकार**  
**कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग**

सं. एफ. 7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 16.3.2023

**अधिसूचना**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।


2. संशोधन.- (1) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम के उप-नियम (3),(4) या, यथास्थिति, (5) के, दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निरर्हता से संबंधित, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु,-




- (i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्तर्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- (iv) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है, उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- (v) इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।”

(2) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उपबंध “ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से



अधिक संतानें हों।” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्पूर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्पूर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:”






### अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक	विद्यमान नियम का संख्यांक
1	2	3	4
1.	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954	25ख	नियम 28ख का उप-नियम(4)
2.	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	25ग	नियम 28क का उप-नियम(4)
3.	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	25ख	नियम 28क का उप-नियम(4)
4.	राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
5.	राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिक शाखा) नियम, 1954	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
6.	राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
7.	राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
8.	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954	21क	नियम 24ख का उप-नियम(4)
9.	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954	-	नियम 11ख का उप-नियम(4)
10	राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958	20क	नियम 21कक का उप-नियम(4)
11.	राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा नियम, 1958	20क	नियम 23क का उप-नियम(4)

12.	राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958	15ख	नियम 25क का उप-नियम(4)
13.	राजस्थान फैक्टरी और बायलर निरीक्षक और फैक्टरी (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, 1958	21क	नियम 23क का उप-नियम(4)
14.	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959	20क	नियम 23क का उप-नियम(4)
15.	राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियम, 1959	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
16.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960	21क	नियम 25क का उप-नियम(4)
17.	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, 1960	20क	नियम 24क का उप-नियम(4)
18.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ सेवा नियम, 1960	20क	नियम 23क का उप-नियम(4)
19.	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	22क	नियम 25क का उप-नियम(4)
20.	राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960	20क	नियम 23क का उप-नियम(4)
21.	राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960	21क	नियम 24क का उप-नियम(4)
22.	राजस्थान उद्यान कृषि सेवा नियम, 1962	20	नियम 23क का उप-नियम(4)
23.	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
24.	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	25क	नियम 31क का उप-नियम(4)


25.	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
26.	राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
27.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
28.	राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
29.	राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
30.	राजस्थान प्राच्यविद्या अनुसंधान संस्थान सेवा नियम, 1967	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
31.	राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम, 1967	-	नियम 17 का उप-नियम(4)
32.	राजस्थान अभियंता सेवा और सहबद्ध पद (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
33.	राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
34.	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971	15क	नियम 18 का उप-नियम(4)
35.	राजस्थान स्थापत्य सेवा लो.नि.वि. (भ. एवं स.) नियम, 1973	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
36.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
37.	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	-	नियम 11क का उप-नियम(4)



38.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
39.	राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
40.	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
41.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
42.	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
43.	राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
44.	राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978	-	नियम 9 का उप-नियम(4)
45.	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
46.	राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
47.	राजस्थान राज्य उपक्रम सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
48.	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
49.	राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980	-	नियम 9 का उप-नियम(4)
50.	राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980	22	नियम 24 का उप-नियम(4)



51.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
52.	राजस्थान शिक्षा सेवा(महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986	21	नियम 26 का उप-नियम(1क)
53.	राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990	-	नियम 9 का उप-नियम(4)
54.	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007	24	नियम 27 का उप-नियम(4)
55.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 2008	19	-
56.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	26	नियम 29 का उप-नियम(4)
57.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	25	नियम 28 का उप-नियम(4)
58.	राजस्थान नागरिक उड्डयन राज्य सेवा नियम, 2013	26	नियम 28 का उप-नियम(4)
59.	राजस्थान संस्कृत (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2022	27	नियम 33 का उप-नियम(4)
60.	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	26	नियम 28 का उप-नियम(4)
61.	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	26	नियम 28 का उप-नियम(4)
62.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
63.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ नियम, 1997	23	नियम 26 का उप-नियम(4)




64.	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	25	नियम 28 का उप-नियम(4)
65.	राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1998	25	नियम 28 का उप-नियम(4)
66.	राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	25	नियम 28 का उप-नियम(4)
67.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	25	नियम 28 का उप-नियम(3)(II)
68.	राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
69.	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
70.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
71.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ नियम, 2015	28	नियम 31 का उप-नियम(4)
72.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	27	नियम 30 का उप-नियम(4)
73.	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	29	नियम 32 का उप-नियम(4)
74.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	30	नियम 33 का उप-नियम(4)
75.	राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	28	नियम 31 का उप-नियम(4)
76.	राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	29	नियम 32 का उप-नियम(4)



77.	राजस्थान विज्ञान एवं तकनीकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	29	नियम 32 का उप-नियम(4)
78.	राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	29	नियम 32 का उप-नियम(4)
79.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-I) नियम, 1955	24क	नियम 27क का उप-नियम(4)
80.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-II) नियम, 1955	23क	-
81.	राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956	24घ	नियम 28क का उप-नियम(4)
82.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
83.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	25	नियम 28क का उप-नियम(4)
84.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
85.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
86.	राजस्थान उद्यान-कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
87.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
88.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
89.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	21	नियम 25 का उप-नियम(4)

90.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
91.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
92.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
93.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	21	नियम 25 का उप-नियम(4)
94.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
95.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
96.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
97.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
98.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
99.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
100.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
101.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)





102.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
103.	राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	21	नियम 24क का उप-नियम(4)
104.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	25	नियम 28क का उप-नियम(4)
105.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
106.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
107.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	21	नियम 23क का उप-नियम(4)
108.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
109.	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	17	-
110.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
111.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
112.	राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	22	नियम 24 का उप-नियम(4)
113.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	24	नियम 26 का उप-नियम(1क)
114.	राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	33	नियम 35 का उप-नियम(1क)
115.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	32	नियम 35 का उप-नियम(4)

116.	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 2008	19	नियम 29 का उप-नियम(4)
117.	राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013	27	-
118.	राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014	26	नियम 24 का उप-नियम(4)
119.	राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	27	-
120.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020	29	-
121.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	33	नियम 37 का उप-नियम(4)
122.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021	31	नियम 33 का उप-नियम(4)
123.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	15	नियम 26 का उप-नियम(4)
124.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	31	नियम 33 का उप-नियम(4)
125.	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999	19	नियम 26 का उप-नियम(4)

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

  
(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

9(ii)/2023

**राजस्थान सरकार**  
**कार्मिक (क-2) विभाग**

सं. एफ. 7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 16.3.2023

**अधिसूचना**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड(ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों और विनियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम और विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों और विनियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **संशोधन.-** (1) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियमों और विनियमों के, दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निरर्हता से संबंधित, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु,-



- (i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्ति किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
- (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- (iv) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है, उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- (v) इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।”

(2) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उपबंध “ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से





अधिक संतानें हों।” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्पूर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्पूर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:”




## अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक	विद्यमान नियम का संख्यांक
1	2	3	4
1.	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) नियम और विनियम, 1991	-	नियम और विनियम 12 का उप-नियम(1क)
2.	राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ स्टाफ) नियम और विनियम, 1999	29	नियम और विनियम 33 का उप-नियम(1क)

शैक्षिक समाचार राजस्थान

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

  
(रामनिवास मेहता)  
संयुक्त शासन सचिव

9(ii)/2023

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
DEPARTMENT OF PERSONNEL  
(A-Gr. II)**

No. F. 7(1) DOP/A-II/95/Pt.

Jaipur, dated : 16.3.2023

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Various Service Rules as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment.-** (1) The existing provisos to sub-rule (3), (4) or (5), as the case may be, relating to Disqualification for appointment of person having more than two children of rule as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that,-

- (i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1<sup>st</sup> June, 2002, does not increase.
- (ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such the remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.
- (v) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee women."

(2) The existing provision of rule as mentioned in column number 4 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto:-

  
16/3/2023



"No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his/her promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1<sup>st</sup> June, 2002."

shall be substituted by the following, namely:-

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1<sup>st</sup> June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1<sup>st</sup> June ,2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:"

### SCHEDULE

S. No.	Name of Service Rules	Number of existing rules	Number of existing rules
1	2	3	4
1.	The Rajasthan Administrative Service Rules, 1954	25B	sub-rule (4) of rule 28B
2.	The Rajasthan Police Service Rules, 1954	25C	sub-rule (4) of rule 28A
3.	The Rajasthan Accounts Service Rules, 1954	25B	sub-rule (4) of rule 28A
4.	The Rajasthan Inspectors of Registration and Stamps Service Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24A
5.	The Rajasthan Service of Engineers (Electrical and Mechanical Branch) Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24A
6.	The Rajasthan Service of Engineers and Research Officers (Irrigation Branch) Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24A

16/3/2023



7.	The Rajasthan Service of Engineers (B&R Branch) Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24A
8.	The Rajasthan Cooperative Service Rules, 1954	21A	sub-rule (4) of rule 24B
9.	The Rajasthan Secretariat Service Rules, 1954	-	sub-rule (4) of rule 11B
10.	The Rajasthan Motor Garage Service Rules, 1958	20A	sub-rule (4) of rule 21AA
11.	The Rajasthan Labour and Welfare Service Rules, 1958	20A	sub-rule (4) of rule 23A
12.	The Rajasthan Economics and Statistical Service Rules, 1958	15B	sub-rule (4) of rule 25A
13.	The Rajasthan Service of Inspectors of Factories and Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958	21A	sub-rule (4) of rule 23A
14.	The Rajasthan Jails Service Rules, 1959	20A	sub-rule (4) of rule 23A
15.	The Rajasthan State Insurance and Provident Fund Service Rules, 1959	21A	sub-rule (4) of rule 24A
16.	The Rajasthan Government Presses Service Rules, 1960	21A	sub-rule (4) of rule 25A
17.	The Rajasthan Employment Exchanges Service Rules, 1960	20A	sub-rule (4) of rule 24A
18.	The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960	20A	sub-rule (4) of rule 23A
19.	The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960	22A	sub-rule (4) of rule 25A
20.	The Rajasthan Industries Service Rules, 1960	20A	sub-rule (4) of rule 23A
21.	The Rajasthan Archaeology & Museums Service Rules, 1960	21A	sub-rule (4) of rule 24A
22.	The Rajasthan Horticulture Service Rules, 1962	20	sub-rule (4) of rule 23A
23.	The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962	21	sub-rule (4) of rule 24A
24.	The Rajasthan Forest Service Rules, 1962	25A	sub-rule (4) of rule 31A
25.	The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 23A
26.	The Rajasthan Social Welfare Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 24A

76/3/2023

27.	The Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 24A
28.	The Rajasthan Public Relations Service Rules, 1966	21	sub-rule (4) of rule 25
29.	The Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966	21	sub-rule (4) of rule 25
30.	The Rajasthan Oriental Research Institute Service Rules, 1967	21	sub-rule (4) of rule 25
31.	The Rajasthan Excise (Preventive Officers) Service Rules, 1967	-	sub-rule (4) of rule 17
32.	The Rajasthan Service of Engineers and Allied Posts (Public Health Branch) Rules, 1968	21	sub-rule (4) of rule 25
33.	The Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969	21	sub-rule (4) of rule 25
34.	The Rajasthan Commercial Taxes Service Rules, 1971	15A	sub-rule (4) of rule 18
35.	The Rajasthan Architectural Service (P.W.D. & B & R) Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 25
36.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 25
37.	The Rajasthan Excise Service (General Branch) Rules, 1974	-	sub-rule (4) of rule 11A
38.	The Rajasthan Technical Training Service Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
39.	The Rajasthan Archives Service Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
40.	The Rajasthan Engineering Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
41.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Service Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
42.	The Rajasthan Tourism Service Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
43.	The Rajasthan Home Guards and Civil Defence Service Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
44.	The Rajasthan Prosecution Service Rules, 1978	-	sub-rule (4) of rule 9
45.	The Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
46.	The Rajasthan Forensic Science Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24

2009  
T6/3/2023

47.	The Rajasthan State Enterprises Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
48.	The Rajasthan Transport Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
49.	The Rajasthan Librarians and Physical Training Instructors Service (Collegiate Branch) Rules, 1980	-	sub-rule (4) of rule 9
50.	The Rajasthan District Gazetteers Service Rules, 1980	22	sub-rule (4) of rule 24
51.	The Rajasthan State Agricultural Marketing Service Rules, 1986	22	sub-rule (4) of rule 24
52.	The Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1986	21	sub-rule (1A) of rule 26
53.	The Rajasthan State Institute of Public Administration Service Rules, 1990	-	sub-rule (4) of rule 9
54.	The Rajasthan Rural Development State Service Rules, 2007	24	sub-rule (4) of rule 27
55.	The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homeopathy & Naturopathy Service Rules, 2008	19	-
56.	The Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010	26	sub-rule (4) of rule 29
57.	The Rajasthan Technical Education (Non-Engineering) Service Rules, 2010	25	sub-rule (4) of rule 28
58.	The Rajasthan Civil Aviation State Service Rules, 2013	26	sub-rule (4) of rule 28
59.	The Rajasthan Sanskrit (Collegiate Branch) Service Rules, 2022	27	sub-rule (4) of rule 33
60.	The Rajasthan Legal State and Subordinate Service Rules, 1981	26	sub-rule (4) of rule 28
61.	The Rajasthan Vidhi Rachna State and Subordinate Service Rules, 1981	26	sub-rule (4) of rule 28
62.	The Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992	27	sub-rule (4) of rule 30
63.	The Rajasthan Secretariat Librarian State and Subordinate Service Rules, 1997	23	sub-rule (4) of rule 26
64.	The Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998	25	sub-rule (4) of rule 28
65.	The Rajasthan Integrated Child Development State and Subordinate Service Rules, 1998	25	sub-rule (4) of rule 28
66.	The Rajasthan Devasthan State and Subordinate Service Rules, 2000	25	sub-rule (4) of rule 28

*[Signature]*  
16/3/2023



67.	The Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service Rules, 2001	25	sub-rule (3)(II) of rule 28
68.	The Rajasthan Petroleum State and Subordinate Service Rules, 2012	27	sub-rule (4) of rule 30
69.	The Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012	27	sub-rule (4) of rule 30
70.	The Rajasthan Language and Library( State and Subordinate) Service Rules, 2013	27	sub-rule (4) of rule 30
71.	The Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) Rules, 2015	28	sub-rule (4) of rule 31
72.	The Rajasthan Excise Laboratory (State and Subordinate) Service Rules, 2015	27	sub-rule (4) of rule 30
73.	The Rajasthan Women Empowerment (State and Subordinate) Service Rules, 2017	29	sub-rule (4) of rule 32
74.	The Rajasthan Minority Affairs (State and Subordinate) Service Rules, 2017	30	sub-rule (4) of rule 33
75.	The Rajasthan Bio-fuel (State and Subordinate) Service Rules, 2019	28	sub-rule (4) of rule 31
76.	The Rajasthan Circuit Houses (State and Subordinate) Service Rules, 2019	29	sub-rule (4) of rule 32
77.	The Rajasthan Science and Technology (State and Subordinate) Service Rules, 2021	29	sub-rule (4) of rule 32
78.	The Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service Rules, 2021	29	sub-rule (4) of rule 32
79.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-I) rules, 1955	24A	sub-rule (4) of rule 27A
80.	The Rajasthan Subordinate Cooperative Service (Class-II) Rules, 1955	23A	-
81.	The Rajasthan Tehsildars Service Rules, 1956	24D	sub-rule (4) of rule 28A
82.	The Rajasthan Mines and Geological Subordinate Service Rules, 1960	21	sub-rule (4) of rule 24A
83.	The Rajasthan Subordinate Accounts Service Rules, 1963	25	sub-rule (4) of rule 28A
84.	The Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 24A
85.	The Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963	21	sub-rule (4) of rule 24A

16/3/2023



86.	The Rajasthan Horticulture Subordinate Service Rules, 1965	21	sub-rule (4) of rule 24A
87.	The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965	21	sub-rule (4) of rule 24A
88.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Subordinate Service Rules, 1966	21	sub-rule (4) of rule 25
89.	The Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966	21	sub-rule (4) of rule 25
90.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Public Health Branch) Rules, 1967	21	sub-rule (4) of rule 25
91.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967	21	sub-rule (4) of rule 25
92.	The Rajasthan Archives Subordinate Service Rules, 1968	21	sub-rule (4) of rule 25
93.	The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971	21	sub-rule (4) of rule 25
94.	The Rajasthan Government Presses Subordinate Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 24A
95.	The Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 24A
96.	The Rajasthan Subordinate Engineering ( B & R Branch) Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 24A
97.	The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973	21	sub-rule (4) of rule 24A
98.	The Rajasthan Town Planning Subordinate Service Rules, 1974	21	sub-rule (4) of rule 24A
99.	The Rajasthan Food and Civil Supplies Subordinate Service Rules, 1974	21	sub-rule (4) of rule 24A
100.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (General Branch) Rules, 1974	21	sub-rule (4) of rule 24A
101.	The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
102.	The Rajasthan Commercial Taxes Subordinate Service (General Branch) Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A
103.	The Rajasthan Public Relations Subordinate Service Rules, 1975	21	sub-rule (4) of rule 24A


*16/3/2023*

104.	The Rajasthan Revenue Accounts Subordinate Service Rules, 1975	25	sub-rule (4) of rule 28A
105.	The Rajasthan Excise Subordinate Service (Preventive Branch) Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
106.	The Rajasthan State Enterprises Subordinate Service Rules, 1976	21	sub-rule (4) of rule 23A
107.	The Rajasthan Animal Husbandry Subordinate Service Rules, 1977	21	sub-rule (4) of rule 23A
108.	The Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978	22	sub-rule (4) of rule 24
109.	The Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978	17	-
110.	The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
111.	The Rajasthan Education Subordinate Service (Collegiate Branch) Rules, 1979	22	sub-rule (4) of rule 24
112.	The Rajasthan Forensic Science Subordinate Service Rules, 1980	22	sub-rule (4) of rule 24
113.	The Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989	24	sub-rule (1A) of rule 26
114.	The Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998	33	sub-rule (1A) of rule 35
115.	The Rajasthan Subordinate Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2001	32	sub-rule (4) of rule 35
116.	The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homeopathy & Naturopathy Subordinate Service Rules, 2008	19	sub-rule (4) of rule 29
117.	The Rajasthan Madarsa Education Assistant Subordinate Service Rules, 2013	27	-
118.	The Rajasthan Scheduled Area Subordinate Ministerial and Class IV (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014	26	sub-rule (4) of rule 29
119.	The Rajasthan Vidhyalay Sahayak Subordinate Service Rules, 2015	27	-
120.	The Rajasthan Engineering Subordinate Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 2020	29	-
121.	The Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 2015	33	sub-rule (4) of rule 37

16/3/2023

122.	The Rajasthan Home Guards Subordinate Service Rules, 2021	31	sub-rule (4) of rule 33
123.	The Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules, 1970	15	sub-rule (4) of rule 26
124.	The Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999	31	sub-rule (4) of rule 33
125.	The Rajasthan Class IV Service (Recruitment and other service Conditions) Rules, 1999	19	sub-rule (4) of rule 26

By order and in the name of the Governor,



16/3/2023

(Ram Niwas Mehta)

Joint Secretary to the Government.

9 (i) / 2023



**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
DEPARTMENT OF PERSONNEL  
(A-Gr. II)**

No. F. 7(1) DOP/A-II/95/Pt.

Jaipur, dated : 16.3.2023

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules and regulations further to amend the Various Service Rules and Regulations as mentioned in the Schedule appended hereto, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules and regulations may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

**2. Amendment.-** (1) The existing provisos to rules and regulations relating to Disqualification for appointment of person having more than two children as mentioned in column number 3 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that,-

- (i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on 1<sup>st</sup> June, 2002, does not increase.
- (ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such the remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.
- (v) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee women."

(2) The existing provision of rule and regulations as mentioned in column number 4 against each of the service rules as mentioned in column number 2 of the Schedule appended hereto:-

  
16/3/2023



"No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his/her promotion becomes due, if he/she has more than two children on or after 1<sup>st</sup> June, 2002."

shall be substituted by the following, namely:-

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1<sup>st</sup> June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1<sup>st</sup> June, 2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:"

#### SCHEDULE

S. No.	Name of Service Rules	Number of existing rules	Number of existing rules
1	2	3	4
1.	The Rajasthan Public Service Commission (Gazetted Staff) Rules and Regulations, 1991	-	sub-rule (1A) of rule and regulation 12
2.	The Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Staff) Rules and Regulations, 1999	29	sub-rule (1A) of rule and regulation 33

By order and in the name of the Governor,

  
16/03/2023

(Ram Niwas Mehta)

Joint Secretary to the Government.

9(ii)/2023

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क-2/95पार्ट

जयपुर, दिनांक:

24/05/2023

- 1 समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 के द्वारा विविध सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया था कि किसी कार्मिक के 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने पर उसकी पदोन्नति पर 5 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा। तत्पश्चात अधिसूचना दिनांक 19.09.2017 के द्वारा 5 भर्ती वर्षों के स्थान पर 3 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किये जाने का संशोधित प्रावधान किया गया जो दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी हैं।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 (कार्मिक विभाग की वेबसाइट [www.dop.rajasthan.gov.in](http://www.dop.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध) के द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

“The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June ,2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:”

उपर्युक्त प्रावधानान्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/राय प्राप्त करने हेतु इस विभाग में प्राप्त प्रकरणों में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. ऐसा कार्मिक जिसके 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था, का आशय यह लिया जा रहा है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नति, संतान की संख्या के आधार पर 5 भर्ती वर्ष अथवा 3 भर्ती वर्ष पश्चात वर्ष 2019-20 से पूर्व की जा चुकी है, उनकी पदोन्नति नियत देय तिथि से रिव्यू डीपीसी के माध्यम से की जानी है अथवा नहीं?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कार्मिक जिनकी पदोन्नति अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 अथवा 19.09.2017 के क्रम में 5 वर्ष/3 वर्ष का दण्ड दिया जाकर वर्ष 2019-20 तक पदोन्नति

**शैक्षिक समाचार राजस्थान**

की जा चुकी है, उन कार्मिकों की पदोन्नति भी उस तारीख से रिव्यू डीपीसी की जाकर की जावेगी, जिस तारीख को उसकी पदोन्नति नियत तिथि को देय हो गई थी और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता, पुनः नियत किया जायेगा, किन्तु कोई बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. कई विभागों द्वारा यह प्रश्न उठाये गये हैं कि उक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अधिसूचना से पूर्व के प्रकरणों में रिव्यू डीपीसी की जावें।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नति संतानों की संख्या के आधार पर दण्ड का प्रभाव डालते हुए नियत तिथि के पश्चात बाद में प्रदान की गई है, अब विद्यमान प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में दण्ड का प्रभाव नहीं देते हुए, पदोन्नति नियत तिथि से देय होगी तथा इस कारण पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को रिव्यू किया जाना आवश्यक है।

3. यदि ऐसे कार्मिकों की रिव्यू डीपीसी की जानी है तो प्रत्येक प्रकरण में पदोन्नति हेतु छाया पद स्वीकृत करवाने की कार्यवाही किस विभाग द्वारा की जावेगी?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चातवर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को इस नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित (Demote) नहीं किया जावेगा। जिन कार्मिकों को नियमानुसार तत्समय दो से अधिक संतान होने के कारण नियत तिथि को पदोन्नति से वंचित कर दिया था, अब उन्हें इस अधिसूचना के क्रम में नियत तिथि से पदोन्नति देने की कार्यवाही की जायेगी एवं आवश्यकता होने पर विभागों द्वारा प्रथमतः वित्त विभाग से उनके लिये छाया पद स्वीकृत करवाना होगा। तत्पश्चात पदोन्नति दिये जाने हेतु रिव्यू डीपीसी के प्रकरण कार्मिक विभाग में सहमति हेतु भिजवाये जाने की कार्यवाही की जानी है।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 एवं उक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

  
(हेमन्त कुमार गेरा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
7. रक्षित पत्रावली

  
24/5/23  
संयुक्त शासन सचिव

26/2023



## कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,  
बीकानेर संभाग।

अति-आवश्यक

विषय:- दिनांक: 01.06.2022 अथवा उसके पश्चात् 02 से अधिक संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप पूर्व में प्रभावी नियमों में विहित प्रावधानों के कारण पदोन्नति से वंचित रहने वाले अर्थवर्तियों की सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय स्तर पर वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायकों की डीपीसी का कार्य सम्पादित किया जाता है कार्मिक(क-ग्रुप-2)विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1) कार्मिक/क-2/95/पार्ट दिनांक 16.03.2023 के द्वारा संबंधित सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने के कारण पूर्व में पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया था, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, पर विचार किया जायेगा।

कार्यालय हाजा स्तर पर सम्पन्न की जाने वाली डीपीसी के पदों से संबंधित ऐसे व्यक्ति, जिन्हें कार्यालय हाजा स्तर पर दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतान होने सम्बंधी सूचना उपलब्ध नहीं होने कारण, उनका डीपीसी से चयन कर पदोन्नति प्रदान कर दी गई हो, एवं पदोन्नति आदेश में 02 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों को पदोन्नति पर कार्यमुक्त नहीं करने सम्बंधी निर्देशों के कारण उन्हें उक्त पदोन्नति पर कार्यमुक्त नहीं किया गया हो एवं विभाग द्वारा उनका पदोन्नति परित्याग मानते हुए आगामी दो भर्ती वर्ष पश्चात् पुनः डीपीसी में चयन कर पदोन्नति प्रदान किये जाने पर उनके द्वारा कार्यग्रहण किया गया हो। ऐसे व्यक्तियों की सूचना कार्यालय हाजा स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण एवं उक्त प्रावधान की क्रियान्विति के सम्बंध में आगामी कार्यवाही करने हेतु संबंधित व्यक्तियों से संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 15 दिवस के भीतर आपके कार्यालय के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को संकलित कर आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचनाओं का परीक्षण कर उक्त आवेदन कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 05.06.2023 तक वाहक स्तर पर भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न :- निर्धारित प्रारूप।

(राजकुमार शर्मा)  
संयुक्त निदेशक,  
स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग,  
बीकानेर।

क्रमांक- संनि/स्कूल शिक्षा/बीका/बीकानेर/डीपीसी/विविध/2023/56

दिनांक: 25/05/2023

प्रतिलिपि :- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि व0अ0/मंत्रालयिक संवर्ग की उक्त सूचनाएं अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त करते हुए दिनांक 07.06.2023 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय हाजा को प्रेषित करवावें। तथा समय-समय पर इसका प्रबोधन एवं प्रचार-प्रसार करें। इसें सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

संयुक्त निदेशक,  
स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग,  
बीकानेर।  
**Signature valid**

Digitally signed by Rajkumar  
Sharma  
Designation : Deputy Director  
Date: 2023.05.25 13:53:17 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3907592





## आवेदन का निर्धारित प्रपत्र

कार्मिक का नाम				
पदनाम (वअ, वशाशि, वप्रस, सप्रअ, वस)				
वर्तमान कार्यरत स्थान				
जन्मतिथि				
वर्ग(सामान्य/अजा/अजजा)				
पदोन्नति से पूर्व धारित पद				
पद का वरिष्ठता क्रमांक (मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची के अनुसार)				
वरिष्ठता अवधि				
उत्पन्न संतानों का विवरण	क्रसं	संतान का नाम	लिंग	जन्मतिथि
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
जिस पद पर पदोन्नति दी गई, उस पद का पदनाम (वअ, वशाशि, वप्रस, सप्रअ, वस)				
प्रथम बार प्रदत्त पदोन्नति से संबंधित डीपीसी चयन वर्ष				
प्रथम बार प्रदत्त पदोन्नति से संबंधित आदेश क्रमांक व दिनांक (आदेश की छाया प्रति संलग्न करें)				
द्वितीय बार प्रदत्त पदोन्नति से संबंधित डीपीसी चयन वर्ष, जिसके आधार पर पदोन्नति ग्रहण की गई				
द्वितीय बार प्रदत्त पदोन्नति से संबंधित आदेश क्रमांक व दिनांक (आदेश की छाया प्रति संलग्न करें)				
पदोन्नति पर कार्यग्रहण तिथि				
अन्य विवरण(जो आप देना चाहें)				

**Signature valid**

Digitally signed by Rail Kumar  
Sharma  
Designation: Deputy Director  
Date: 2023.05.25 13:53:17 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3907592





**शैक्षिक समाचार राजस्थान**  
*Shaikshik Samachar Rajasthan*

हमारे द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पोर्टल में ज्वाइन करने के लिए दिए गए नाम के सामने क्लिक करें

S.N	GROUP NAME	JOIN GROUP
1	<b>TWITTER</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>
2	<b>FACEBOOK</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>
3	<b>WEBSITE (RAJGYAN)</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>
4	<b>TELEGRAM</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>
5	<b>TELEGRAM SAMADHAN</b>	<a href="#">CLICK HERE</a>

